REGD. NO. D. L.-33004/99



EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2015/पौष 22, 1936
No. 74]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2015/PAUSHA 22, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2015

का.आ. 131(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एत**दद्वा**रा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 144 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"144	244	जम्मू और कश्मीर राज्य में रारा-44 पर चेनानी के निकट अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		सुध महादेव, गोहा, खेलानी, किश्तवाड़, सिनथान पास को जोड़ने वाला और रारा-44 के
		साथ खानाबल के निकट अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा.सं. एनएच-14012/22/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

163GI/2015

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 2597 (अ) तारीख 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2015

S.O. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 144 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

(1)	(2)	(3)
144	244	The highway starting from its junction with NH-44 near Chenani connecting Sudh Mahadev, Goha, Khelani, Kishtwar, Sinthan pass and terminating at its junction with NH-44 near Khanabal in the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. NH-14012/22/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated the 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 2597 (E), dated the 8th October, 2014.